



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 31, 2018 (PAUSA 10, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

**संख्या 105/जीएसटी-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण के अंतःराज्यीय प्रदाय को, जब इनका प्रदाय हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा निर्दिष्ट "किसी नामित एजेंसी द्वारा प्रदाय के एवज में निर्यात" की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (यहां जिसे "प्राप्तिकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), को की गई हो, उस पर हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 9 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से निम्नलिखित शर्तों के अधधीन छूट प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

- (i) नामित एजेंसी और प्राप्तिकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे ।
- (ii) प्राप्तिकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों को उस तिथि से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तिथि को उस प्राप्तिकर्ता को स्वर्ण का प्रदाय किया गया था और वह नामित एजेंसी द्वारा प्रदाय की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर नामित एजेंसी को निर्यात के लिए बीजक सहित शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स की प्रति, माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा देते हुए उपलब्ध कराएगा।
- (iii) जहां कहीं शर्त (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे सबूत प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर, जिस तिथि पर ऐसे प्रदाय पर कर भुगतान योग्य था, उस तिथि से ब्याज की राशि सहित राज्य कर का भुगतान करेगा।

**“व्याख्या** – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, –

- (क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय है भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2015–2020, दिनांक 5 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. 3813 (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020।
- (ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स " से अभिप्राय है भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 43/2015–2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1, फा. सं 01/94/180/333/एएम 15/पीसी-4 में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स ।
- (ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय है अधिसूचना संख्या 50/2017–सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ii, खंड 3, उप खंड (i) सा. का. नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित की सूची 32 में उल्लिखित हस्तियां ;
- (घ) "शीर्ष" से अभिप्राय है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शीर्ष।
2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 31st December, 2018

**No. 105/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby exempts the intra-State supply of gold falling in heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), when supplied by Nominated Agency under the scheme for "Export Against Supply by Nominated Agency" as referred to in paragraph 4.41 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of Handbook of Procedures to a registered person (herein referred to as "recipient"), from the whole of the State Tax leviable thereon, under section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, subject to following conditions, namely:-

- (i) the Nominated Agency and the recipient shall follow the conditions and subject observe the procedures as specified in the Foreign Trade Policy read with Handbook of Procedures;
- (ii) the recipient shall export the jewellery made out of such gold within a period of 90 (ninety) days from the date of supply of gold to such recipient and shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) along with the invoice for exports to the Nominated Agency within a period of 120 (one hundred and twenty) days from the date of supply by the Nominated Agency;
- (iii) wherever such proof of export is not produced within the period mentioned in condition (ii), the Nominated Agency shall pay the amount of State Tax payable on the quantity of gold not exported, along with interest from the date when tax on such supply was payable, but for the exemption.

**Explanation.** -for the purpose of this notification,-

- (a) "Foreign Trade Policy "means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, notified by Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification no.41/2015-2020,dated the 5th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii) vide S.O. 3813, dated the 5th December, 2017;

- 
- (b) "Handbook of Procedures means the Handbook of procedures, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* public notice number 43/2015-2020, dated the 5th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, *vide* F. No.01/94/180/333/AM15/PC, dated the 5th December, 2017;
- (c) "Nominated Agency" means entities mentioned in List 32 of Notification No. 50/2017-Customs dated 30th June 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, section 3, sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 785 (E), dated the 30th June, 2017;
- (d) "Heading" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975).
2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.